कार्यालयः-
उप वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) पानीपत।
वन विभाग, हरियाणा सरकार
वन परिसर असन्ध रोड़, पानीपत, दूरभाष न0:- 0180-2650331 E-Mail:- dfopanipat04@yahoo.co.in

क्रमांकः- 2069
सेवा मेंः-

दिनांकः- 07/01/2022

Sh. Jagan Nath Bansal S/o Sh. Johari Lal Bansal,
R/o. H.No. 603, Sec-12,
HUDA, Panipat.

विषय : **Diversion of 0.0063 Ha. Forest Land for access to Blankets Factory on Assan Khurd to Madlauda Road, at Village Assan Khurd, Tehsil & Distt. Panipat.**
Proposal No.FP/HR/Approach/38965/2019, Date of Proposal:- 13-03-2019

सन्दर्भः- **क्षेत्रीय अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय (केन्द्रीय) भारत सरकार, चण्डीगढ़ के पत्र क्रमांक 9-HRB006/2021-CHA दिनांक 05.01.2022 के निरन्तर में।**

::::::::::::::::::::::::::::::

पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय (केन्द्रीय), भारत सरकार के सन्दर्भाकिंत पत्र द्वारा प्रस्तावित केस से सम्बन्धित उपर्युक्त उद्देश्य हेतू **0.0063** हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति (प्रति संलग्न) शर्ते पूर्ण करने पर प्रदान की गई है। जिसके अनुसार निम्न कार्यवाही बारे लिखा हैः-

मद सं0 2 के बिन्दु नं0 I से V:- प्रयोक्ता एजैन्सी से प्रतिपूर्ति पौधारोपण एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देशानुसार प्रस्तावित वन भूमि की प्रतिपूर्ति पोधारोपण, एन0पी0वी0 तथा पैनल्टी फॉर वॉयलेशन की राशि जमा करवाई जाये। आप द्वारा प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम अनुसार 2,39,312/- रूपये (Rs. Two Lakh Thirty Nine Thousand Three Hundred Twelve only) की राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु मन्त्रालय की साईट से ऑनलाईन चालान बनाकर उक्त राशि जमा करवाकर तुरन्त मण्डल कार्यालय को अवगत करवाये।

संलग्नः-सी0ए0 स्कीम व स्वीकृति पत्र।

उप वन संरक्षक, o/c
पानीपत।

पृ0 क्रमांकः- 2070 दिनांकः- 07/01/2022

इसकी एक प्रति प्र0मु0व0सं0, (एफ0सी0ए0), हरियाणा पंचकूला को पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय (केन्द्रीय) भारत सरकार, चण्डीगढ़ के पत्र क्रमांक 9-HRB006/2021-CHA दिनांक 05.01.2022 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।

उप वन संरक्षक, o/c
पानीपत।

Scanned with CamScanner

Full Title of the Project:-Diversion of 0.0063 Ha. Forest Land for access to Blankets Factory on Assan Khurd to Madlauda Road, at Village Assan Khurd, Tehsil Madlauda, Distt. Panipat.

Proposal No.FP/HR/Approach/38965/2019
Date of Proposal:- 13-03-2019

Detail of Year Wise Plantation and Maintenance Cost and Other Expenditure				
Sr. No.	**DESCRIPTION**		**RATE**	**AMOUNT**
A	**Compensatory Afforesatation Charges**	No. of Plants		
	Ist Year cost of afforestation	100	Rs. 395 Per Plant	39500
	IInd Year Maintenance		Rs. 138 Per Plant	13800
	IIIrd. Year Maintenance		Rs. 55 Per Plant	5500
	IVth.Year Maintenance		Rs. 22 Per Plant	2200
	Vth Year Maintenance		Rs. 24 Per Plant	2400
	VIth Year Maintenance		Rs. 26 Per Plant	2600
	VIIth Year Maintenance		Rs. 27 Per Plant	2700
	VIIIth Year Maintenance		Rs. 28 Per Plant	2800
	IXth Year Maintenance		Rs. 30 Per Plant	3000
	Xth Year Maintenance		Rs. 32 Per Plant	3200
	Berbed wire fencing charges	RKM 0.4	Rs. 200000/- Per RKM	80000
			Total Charges	1,57,700
	Supervisory/Overhead/Miscellaneous Charges	10% on the CA Charges		15,770
			Total (A) CA Charges	**1,73,470**
B	**Catchment Area Treatment**			
	Soil and Moisture Conservation Charges	30% of the Total CA		52,041
			Total (D)	**52,041**
C	Safety Zone			**0**
D	**Additional other Charges**	**Qty.**	**Rate**	
	Total (F)	0	0	**0**
E	Net Present Value of Forest Land to be diverted		Rs. 887000/-per ha.	**5,588**
F	Penalty for violation as per provision B(i) of MoEFCC Letter No. 11-42/2014-FC dt. 29-01-2018 with interest. Period of violation from 05-02-2018 to 05-01-2022 (No. of days=1429)		Actual NPV+Interest @ 12% per annum 5588+2625	**8,213**
G	Felling Charges	Vol. M^3 0	Rs. 1200/- per m^3	**0**
	Grand Total (A+B+C+D+E+F+G+H) to be deposited in CAMPA Fund			**2,39,312**

Deputy Conservator of Forests,
Panipat.

5.1.2022

Scanned with CamScanner

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ / Integrated Regional Office, Chandigarh

सत्यमेव जयते

F.No.-: 9-HRB006/2021-CHA **दिनांक: 05-01-2022**

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन),
हरियाणा सरकार,
हरियाणा सिविल सचिवालय,
चण्डीगढ।
(fcforest@hry.nic.in)

विषय: **Diversion of 0.0063 ha of forest land in favour of Jagan Nath Bansal for access to Blankets Factory on Assan Khurd to Madlauda Road, at Village Assan Khurd, Tehsil Madlauda, under forest division and District Panipat, Haryana. (Online proposal No. FP/HR/Approach/38965/2019)-regarding**

संदर्भ (i) State Government online proposal received on dated 11.01.2021.
(ii) State Government online reply received on dated 28.12.2021.

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से संदर्भाकित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-२ के अधीन अनुमति मांगी गई है।

2. राज्य सरकार के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात उपर्युक्त विषय हेतु **0.0063** हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए **सैधांतिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो को पूरी करने पर प्रदान की जाती है।

(A) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता है:-

i. प्रयोक्ता एजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए|

ii. As violation is reported by State Government, a penalty as per Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarification), 2019, 1.21 (ii) a is imposed, which inter-alia stipulates "the penalty for violation shall be equal to NPV of forest land per hectare for each year of violation from the date of actual diversion as reported by the inspecting officer with maximum up to five (5) times the NPV plus 12 percent simple interest till the deposit is made".

iii. माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि की नैट प्रजैंट वैल्यु जमा करवाई जाये।

iv. प्रयोक्ता एजेंसी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से जमा करवाएगा।

v. User agency should ensure that the compensatory levies (CA cost, NPV, etc.) are deposited through challan generated online on web portal and deposited in appropriate bank only. Amount deposited through other mode will not be accepted as compliance of the Stage-I clearance.

Scanned with CamScanner

(B) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज-II अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है:-

i. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।

ii. प्रस्ताव के अनुसार कोई भी वृक्ष नहीं काटा जाएगा।

iii. The State Government shall upload the KML files of the degraded forest area accepted for raising compensatory afforestation in the E-Green watch portal of FSI, before handing over of forest land to the user agency.

iv. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।

v. साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पंहुचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वन भूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे।

vi. जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी।

vii. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।

viii. केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा।

ix. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।

x. कूड़ा कर्कट निपटान जारी योजना के अनुसार किया जायेगा।

xi. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय – समय पर लगाई जा सकती है।

xii. यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।

4. उपरोक्त पैरा -2 के अधीन शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अधीन अन्तिम स्वीकृति के लिये प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा। ***केन्द्रीय सरकार की अन्तिम अनुमति दिये जाने तक वन भूमि का उपयोग नही किया जायेगा।***

भवदीय,

हस्ता/-
(सी०डी०सिंह)
क्षेत्रीय आधिकारी
IRO, MoEF&CC, Chandigarh

प्रतिलिपि:-

1. अपर वन महानिदेशक (वन), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग़, अलीगंज, नई दिल्ली। (adgfc-mef@nic.in)
2. PCCF (HoFF), Forest Department, Government of Haryana, C-18, Van Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana. (pccf-hry@nic.in)
3. Divisional Forest Officer, Forest Division District Panipat Haryana (dfopanipat04@yahoo.co.in)
4. JAGAN NATH BANSAL, 603, sector12, Huda, District Panipat, Haryana (jn62bansal@gmail.com)

बेज नं. 24-25, सेक्टर-31 ए, चंडीगढ़-160030 / Bays No. 24-25, Sector-31 A, Chandigarh-160030
दूरभाष/Tel No : 0172-2638061 Fax No : 0172-2638135 Email : ronz.chd-mef@nic.in

Signed by C D Singh
Date: 05-01-2022 13:26:59
Reason: Approved

Scanned with CamScanner